

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटकासिम (खैरथल-तिजारा)

अनवान 3131/944 बनाम श्यामल
 किस्म मुकदमा 53,188 मु0नं0 569 सन् 2024

तारीख हुक्म
 20.06.2024

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
 अहकाम जो इस हु
 की तामील में जारी

वादा/आधेवक्ता द्वारा अन्तर्गत धारा 53,188 राज0काश्तकारी अधिनियम 1955 राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया है। जिस पर राजस्व लिपिक द्वारा जॉच रिपोर्ट ली जाकर वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वादीगण रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से सशुल्क तलबाना नोटिस अन्दर दो दिवस में पेश करे, अदम अनुपालना आदेश (वादी /अधिवक्ता द्वारा रजिस्टर्ड ए. डी. डाक से सशुल्क तलबाना पेश नही करने के संबंध में विधिपूर्वक समुचित कारण सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने एवं तत्पश्चात् पीठासीन अधिकारी द्वारा अनुज्ञेय अवधि हेतु शिथिलता दिये जाने की अवधि को छोडते हुये) दर्ज वाद पत्र काबिले खारिज होगा। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से सशुल्क तलबाना सम्मन जारी होकर पत्रावली अज अदालतेमाल के समक्ष वकालतन/असालतन पक्ष रखने हेतु आगामी तारीख पेरा दिनांक 12.07.2024को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
 कोटकासिम

12/7/24. वादी के वकालत उपर
 प्रति की तलब को लेकर। 17/9/24 को
 पेश हो

17/09/24, वादी के अधिवक्ता उपर
 प्रति की तलब नहीं हुई है।
 वादी अधिवक्ता ने निवेदन

किया कि वे पक्षकार के निर्देश पर
 वाद को प्रैस नहीं करते हैं।
 फलतः वादी का वाद अधिवक्ता

वश प्रैस नहीं करने के कारण NOT PREP
 में दाखिल करते किया जाता है। तदनुसार
 वाद निर्धारित होकर पना 10 वादतवरी मजमा विनिर्माण
 का/बि आवे।

उपखण्ड अधिकारी
 कोटकासिम (खैरथल-तिजारा) राज0

NOT
 PREP
 (सुनील मास्कर)